



2026:AHC:175626

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8398 सन् 2026

यशु कुमार उर्फ यश कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

प्रार्थी हेतु अधिवक्तागण : दीपक उपाध्याय, परस दुबे

विपक्षी हेतु अधिवक्तागण : शासकीय अधिवक्ता, गणेश मणि, महेन्द्र प्रताप सिंह

न्यायालय क्रमांक-72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- (1) श्री दीपक उपाध्याय, प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुने गए तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- (2) वर्तमान आवेदन प्रार्थी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 55 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 308(2), 324(4) तथा 109(1) बी0एन0एस0, थाना गुजैनी, जनपद कानपुर नगर में, उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- (3) इस न्यायालय के दिनांक 17.08.2026 के पूर्ववर्ती आदेश के अनुपालन में, मामले के उपनिरीक्षक/विवेचना अधिकारी श्री कमल दीप, अभिकथित घटना की सीसीटीवी फुटेज युक्त पेन ड्राइव के साथ न्यायालय में उपस्थित हैं।
- (4) उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को भविष्य के लिए तब तक छूट दी जाती है जब तक इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अपेक्षित न की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (5) इस न्यायालय ने वर्तमान मामले में विवेचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पेन ड्राइव में निहित अभिकथित घटना की सीसीटीवी फुटेज देखी है। इसे देखने के पश्चात्, वही विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को वापस कर दी गई।
- (6) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थी पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है; अभिकथित अपराध से उसका कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद पुलिस प्रार्थी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह भी निवेदन किया गया है कि अभिकथित घटना दिनांक 11.03.2026 की रात्रि 00:15 बजे घटित होना कही गई है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 14 घण्टे पश्चात् दिनांक 11.03.2026 को 14:23 बजे, धारा 115(2), 352, 351(3), 308(2), 324(4) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 109(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं की गई थी। प्रार्थी को विवेचना के दौरान दिनांक 24.03.2026 को गिरफ्तार किया गया था; उसका गिरफ्तारी/रिमाण्ड आदेश दिनांक 14.03.2026 अवैध पाया गया; इसलिए, इसे इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 555 सन् 2026 में दिनांक 08.05.2026 के आदेश द्वारा अपास्त कर दिया गया। वर्तमान मुकदमा अपराध संख्या 55 सन् 2026, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(3), 308(2), 324(4), 109(1) बी0एन0एस0, थाना गुजैनी, जनपद कानपुर नगर में दिनांक 14.03.2026 का रिमाण्ड आदेश अभिखण्डित कर दिया गया। दिनांक 08.05.2026 के आदेश के अनुपालन में, प्रार्थी को सम्बन्धित विद्वान न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया। वह लगभग दो माह कारागार में रहा।
- (7) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी निवेदन किया कि प्रार्थी किसी घातक हथियार से सुसज्जित नहीं था। घायल की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसे उसके शरीर पर कुल पाँच चोटें आईं; उसकी चोट संख्या 1, 3 एवं 5 सामान्य प्रकृति की पाई गई। बाएँ अग्रबाहु का एक्स-रे कराने की सलाह दी गई थी; तथापि, दिनांक 11.03.2026 की एक्स-रे रिपोर्ट के अनुसार, कोई असामान्यता नहीं पाई गई। इसलिए, घायल की समस्त चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। प्रार्थी का मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था। यदि अभियोजन के संस्करण को उसके अंकित मूल्य पर सत्य मान लिया जाए, तो भी प्रार्थी के विरुद्ध धारा 109(1) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत कोई अपराध नहीं बनता। प्रार्थी एक नवयुवक है, लगभग 20 वर्ष की आयु का, तथा उसे 7 वर्ष तक के कारावास से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दण्डनीय दो मामलों में फंसाया गया था। दोनों मामलों के आपराधिक इतिहास को प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के पैराग्राफ संख्या 18 में भली-भाँति स्पष्ट किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी दो माह की अवधि तक कारागार में रहा। इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तथा सम्बन्धित विद्वान न्यायालय ने दिनांक 11.05.2026 को संज्ञान ले लिया है। संज्ञान आदेश तथा आरोप-पत्र की प्रतिलिपि शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 66 से आगे संलग्न की गई है। प्रार्थी की अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है तथा वह सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को तैयार है, परन्तु उसे आशंका है कि उसे पुनः अभिरक्षा में ले लिया जाएगा, क्योंकि प्रार्थी द्वारा न तो कोई जमानत आदेश पारित किया गया था और न ही कोई जमानती बंधपत्र प्रस्तुत किए गए थे। उसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 555 सन् 2026 में पारित दिनांक 08.05.2026 के आदेश के अनुपालन में कारागार से रिहा किया गया था। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अन्त में यह निवेदन किया कि प्रार्थी विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उपस्थित होगा। यह भी कथन किया गया है कि यदि प्रार्थी को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विचारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली समस्त शर्तों का पालन करेगा।

- (8) दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा यह निवेदन किया कि घटना सीसीटीवी फुटेज में अंकित है तथा प्रार्थी ने घायल की हत्या करने का प्रयास किया। घायल को लगभग 70-80 मीटर तक घसीटा गया। उसकी चोट रिपोर्ट अभियोजन के संस्करण का समर्थन करती है। घायल 3 दिन की अवधि तक अस्पताल में रहा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलम्ब को उचित रूप से स्पष्ट किया गया है तथा प्रार्थी के पास अभिकथित अपराध कारित करने का हेतु है। प्रार्थी के पक्ष में कोई जमानत आदेश पारित नहीं किया गया था। उसे इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा तकनीकी आधार पर रिहा किया गया था, क्योंकि यह पाया गया था कि रिमाण्ड आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए पारित एक अवैध आदेश था। प्रार्थी को अपनी गिरफ्तारी



की कोई आशंका नहीं है तथा उसे दण्डिक विचारण का सामना करने हेतु सम्बन्धित विद्वान न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहिए।

(9) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के प्रतिस्पर्धी निवेदनों को सुना है तथा अभिलेखों का अवलोकन किया है।

(10) अभिकथित घटना की सीसीटीवी फुटेज यह दर्शाती है कि घायल को एक कार में बैठे किसी व्यक्ति द्वारा घसीटा गया, तथापि, कार में प्रार्थी दृश्यमान नहीं है। घायल की चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। प्रार्थी दो माह की अवधि तक कारागार में रहा तथा उसे इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 555/2026 में पारित दिनांक 08.05.2026 के आदेश के अनुपालन में कारागार से रिहा किया गया था। प्रार्थी एक नवयुवक है, लगभग 20 वर्ष की आयु का। इस मामले में आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तथा दिनांक 11.05.2026 को संज्ञान लिया जा चुका है। प्रार्थी की अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।

(11) **अमन प्रीत सिंह बनाम सी0बी0आई0; (2022) 13 एस0सी0सी0 764** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि:-

“11. उपर्युक्त के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि यह धारा 170 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते समय मजिस्ट्रेट हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त है, जिसे निर्धारित किया गया है। मजिस्ट्रेट अथवा अभियुक्त पर संज्ञान लेने अथवा उसे विचारित करने हेतु सशक्त न्यायालय को आरोप-पत्र को अविलंब स्वीकार करना होगा तथा धारा 173 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ना होगा। यह सम्यक् रूप से प्रेक्षित किया गया है कि ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय को अनिवार्यतः समन की प्रक्रिया जारी करनी होगी, न कि गिरफ्तारी वारंट। यदि वह गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहता है, तो उसे धारा 87 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत यथाकल्पित कारण अभिलिखित करने होंगे कि अभियुक्त या तो फरार हो रहा है अथवा समन का पालन नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करेगा अथवा उस पर समन की सम्यक् तामील के प्रमाण के बावजूद उपस्थित होने से इन्कार किया है। वस्तुतः उच्च न्यायालय द्वारा उप-पैराग्राफ (iii) में की गई उपर्युक्त टिप्पणियाँ सावधानी की प्रकृति की हैं।

12. जहाँ तक वर्तमान मामले तथा धारा 170 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सामान्य सिद्धान्तों का सम्बन्ध है, सर्वाधिक समुचित प्रेक्षण उच्च न्यायालय के निर्णय के उप-पैराग्राफ (v) में उस अभियुक्त के सन्दर्भ में हैं, जो एक गैर-जमानतीय अपराध में हैं, जिसकी अभिरक्षा विवेचना की अवधि के दौरान अपेक्षित नहीं थी। ऐसी स्थिति में, यह समुचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार न किए जाने अथवा अभिरक्षा में प्रस्तुत न किए जाने की परिस्थितियाँ स्वयं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार बनाने हेतु पर्याप्त हैं। यह औचित्य संक्षेप में इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कई वर्षों तक स्वतन्त्र एवं मुक्त रखा गया है तथा विवेचना के दौरान उसे गिरफ्तार तक नहीं किया गया है, तो केवल इसलिए कि आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है, अचानक उसकी गिरफ्तारी का निर्देश देना तथा उसे कारागारित करना, जमानत प्रदान करने के शासी सिद्धान्तों के विपरीत होगा। हम इससे पूर्णतः सहमत हैं।”

(12) अतएव, अग्रिम जमानत से सम्बन्धित सुस्थापित विधिक सिद्धान्तों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों, अभियोग की प्रकृति, प्रार्थी की भूमिका तथा मामले की समस्त सुसंगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह प्रार्थी को मामले में विचारण के निष्कर्ष तक अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु उपयुक्त मामला है।

(13) तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्नलिखित निदेशों के साथ अनुमत किया जाता है:-



- (i) उपर्युक्त मामले में सम्मिलित प्रार्थी-यशु कुमार उर्फ यश कुमार की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे विचारण के निष्कर्ष तक अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाएगा, इस शर्त पर कि वह सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए रु० 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करे;
- (ii) प्रार्थी विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा निष्पक्ष विचारण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किए जाने पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
- (iii) प्रार्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करने से विरत रखने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा; तथा
- (iv) प्रार्थी न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- (14) उपर्युक्त शर्तों में से किसी की चूक अथवा दुरुपयोग की दशा में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-परिवादी, प्रार्थी को प्रदत्त अग्रिम जमानत के निरस्तीकरण हेतु सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष समुचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

दिनांक: 19 अगस्त, 2026

नितेन्द्र